(दिल्ली राजपत्र भाग–4 साधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण
5–शाम नाथ मार्ग, दिल्ली –54

संख्या एफ (953)/पं0शा0/मंआ/मुख्याव/2014/5943 दिनांक 22/09/2014

संख्या एफ (953)/पं0शा0/मंआ/मुख्याव/2014/ दिल्ली में यथाप्रवृत्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 (1899 का 2) की धारा 47क तथा धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 27 जुलाई, 1961 की अधिसूचना एसओ 1726(संख्या एफ. 2/5/61–न्यायिक–2) 07 सितम्बर, 1966 की अधिसूचना एसओ 2709(41/2/66–दिल्ली) के साथ पठित दिल्ली स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 2007 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा इस सरकार की दिनांक 04.12.2012 की अधिसूचना संख्या एफ (152)/पं0शा0/मंआ/मुख्याव/2011/780 के अतिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के प्रयोजन एवं आशय हेतु दिल्ली में भूमि तथा अचल सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु न्यूनतम दरों (सर्कल रेट) को संशोधित तथा अधिसूचित करते हैं, जैसा कि इस अधिसूचना के परिशिष्ट–1 में दिया गया है।

उपरोक्त दरें दिल्ली में भूमि तथा अचल संपत्तियों के लिखत के पंजीकरण के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के उपबंधों के अन्तर्गत पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का XVI) के उपबंधों के अनुसार उन सभी पंजीयक अधिकारियों द्वारा लिखत के पंजीकरण के समय ध्यान में रखी जाएगी, जो उनके सामने अधिकार क्षेत्र होने के कारण दिल्ली में यथाप्रवृत्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के उपबंधों के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की जाती है।

ये संशोधित दरें **23.09.2014** से प्रवृत्त होंगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

(संजय कुमार)
IAS
विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

सं.फा. 1(953)/पंजी. शाखा/मुं...आयु./मुख्या0/2014/ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली।
3. सचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
4. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
5. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
6. सचिव, राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
7. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली।
8. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9. समस्त उपायुक्त (राजस्व), ए0डी0एम/एस0डी0एम0, उप-पंजीयक/डीआईओ।
10. राज्य इन्फोर्मेटिकस अधिकारी, एनआईसी, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
11. नि. सं. मंडलीय आयुक्त, दिल्ली।
12. सिस्टम विश्लेषक, राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से अनुरोध किया जाता है कि इसे राजस्व विभाग की वेबसाइट पर डालिए।
13. परामर्शदाता (राजस्व)।
14. गार्ड फाईल।

(संजय कुमार)
IAS
विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

प्रथम परिशिष्ट–1

दिल्ली में पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन पंजीकरण के प्रयोजनों के लिये भूमि तथा सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु न्यूनतम दरें (सर्कल रेट)

1. वाणिज्यिक औद्योगिक और अन्य प्रयोगों के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारण भूमि दरें:

तालिका–1

इलाके की श्रेणी	आवासीय प्रयोग के लिये भूमि के मूल्यांकन न्यूनतम दरें (रुपये प्रति वर्गमीटर में)
ए	774000
बी	245520
सी	159840
डी	127680
ई	70080
एफ	56640
जी	46200
एच	23280

2. आवासीय प्रयोग हेतु न्यूनतम भूमि दरें:–

2.1 विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के अन्तर्गत भूमि का मूल्य ज्ञात करते समय आवासीय प्रयोग के लिये उक्त न्यूनतम भूमि दरों पर निम्नलिखित गुणक लागू होंगे :–

तालिका 1.1

प्रयोग*	सार्वजनिक सुविधाएं जैसे निजी विद्यालय / महाविद्यालय / अस्पताल	औद्योगिक	वाणिज्यिक
गुणक	2	2	3

* एकक क्षेत्रफल संपत्ति कर पद्धति की परिभाषाओं की भांति

3. निर्माण लागत की न्यूनतम दरें:–

3.1. निर्माण की लागत की आधार एकक दर निम्न होगी::

तालिका 1.2

इलाके की श्रेणी	आवासीय प्रयोग के लिये न्यूनतम निर्माण दर (रूपये प्रति वर्गमीटर में)	वाणिज्यिक प्रयोग के लिये निर्माण की न्यूनतम दर (रुपये प्रति वर्गमीटर)
(1)	(2)	(3)
ए	21960	25200
बी	17400	19920
सी	13920	15960
डी	11160	12840
ई	9360	10800
एफ	8220	9480
जी	6960	8040
एच	3480	3960

3.2. संरचना की आयु पर विचार करने हेतु निम्नलिखित गुणक निर्माण की न्यूनतम लागत पर लागू होंगे:–

संपूर्ति वर्ष	1960 से पहले	1960–69	1970–79	1980–89	1990–2000	2000 से आगे
अवधि गुणक	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

3.3. विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के लिये उक्त न्यूनतम निर्माण लागत पर निम्नलिखित गुणक केवल 'जी' और 'एच' श्रेणियों की कॉलोनियों के लिये ही विचाराणीय होंगे:–

ढांचा प्रकार	पक्का	अर्धपक्का	कच्चा
गुणक	1.0	0.75	0.5

4. चार तलों तक निर्मित फलैटों के लिये न्यूनतम दरें –

<u>तालिका 1.3</u>

कुर्सी तथा क्षेत्र के आधार पर फ्लैट की श्रेणी (वर्ग मीटर)	दिल्ली विकास प्राधिकरण कॉलोनियों / सहकारी समिति तथा सामूहिक आवास समितियों के लिये न्यूनतम निर्माण दर (रूपये प्रति वर्ग मीटर) (आवासीय प्रयोग की स्थिति में)	दिल्ली विकास प्राधिकरण / सामूहिक आवास समितियों / निजी बिल्डरों द्वारा फ्लैट के लिये न्यूनतम निर्माण दर (रूपये प्रति वर्ग मीटर) (वाणिज्यिक प्रयोग की स्थिति में)	निजी कालोनियों के लिये गुणक
30 वर्ग मीटर तक	50400	57840	1.10
30 से ऊपर तथा 50 वर्ग मीटर तक	54480	62520	1.15
50 से ऊपर तथा 100 वर्ग मीटर तक	66240	75960	1.20
100 वर्ग मीटर से ऊपर	76200	87360	1.25

4.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण / सहकारी / सामूहिक आवास सोसायटी के चार तलों से अधिक तलों फ्लैटों के लिए आवासीय प्रयोजनों के लिये 87840 /– रूपये प्रति वर्गमीटर की एक समान दर निर्मित क्षेत्र की दर पर न्यूनतम मूल्य मान लिया जाएगा जबकि उस स्थिति में, जिसमें वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये यही प्रयुक्त की जाती है तब वाणिजियक प्रयोग के लिये 100800 /–रुपये प्रति वर्गमीटर की एक समान दर निर्मित क्षेत्र की दर पर न्यूनतम मूल्य मान लिया जाएगा। निजी बिल्डरों द्वारा बहुमंजिलो फ्लैट्ो के लिये 1.25 का गुणक लागू होगा।

नोट– बेचे गए किसी फ्लैट से भिन्न किसी स्वतंत्र संपत्ति का भाग कुर्सी क्षेत्र अर्थात् एकतल, बेचे गए अनुपातिक कुर्सी क्षेत्रफल के लिये सम्बद्ध न्यूनतम भूमि लागत, और बेचे गए कुर्सी क्षेत्रफल पर लागू निर्माण की न्यूनतम लागत ली जा सकेगी।

(संजय कुमार)
IAS
विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)